[2020] 2 एस. सी. आर 907

डॉ हीरा लाल

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

सिविल अपील संख्या 1677-1678/2020

फरवरी 18,2020

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः

सेवानिवृत्ति लाभ-पेंशन का 10 प्रतिशत और ग्रेच्युटी की पूरी राशि को रोकता-लंबित आपराधिक कार्यवाही के कारण परिपत्र-दिनांक 22.8.1974 सहपठित सरकारी प्रस्ताव दिनांक 31.7.1980 के आधार पर रिट याचिका में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया-एल. पी. ए. में आदेश की पुष्टि की गई।-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-अभिनिर्धारित कियाःबिहार पेंशन नियम, 1950 का नियम 43 (बी), जो पेंशन को रोकने का प्रावधान करता है, ऐसी स्थिति को शामिल नहीं करता है जहां न्यायिक या विभागीय कार्यवाही लंबित है-परिपत्र और सरकारी प्रस्ताव प्रशासनिक/कार्यकारी आदेश होने के कारण (संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी नहीं किए गए) कानून का कोई बल नहीं है-पेंशन और उपादान प्राप्त करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संरक्षित संपत्ति का अधिकार है-इसे कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश द्वारा नहीं लिया जा सकता है-वैधानिक नियमों के अभाव में, राज्य कार्यकारी निर्देशों के आधार पर पेंशन और ग्रेच्युटी को रोक नहीं सकती थी-इसलिए, राज्य को 10 प्रतिशत पेंशन को रोकने में अन्यायपूर्ण ठहराया गया था-हालांकि अनुच्छेद (ग) की प्रविष्टि के द्वारा नियम 43 के संशोधन के बाद दिनांक

19.07.2012 राज्य को पेंशन राशि का 10 प्रतिशत रोकने का अधिकार है-राज्य को पेंशन नियमों के नियम 27 के अनुसार 31.3.2008 (सेवानिवृत्ति की तारीख) से 19.7.2012 तक पेंशन राशि का 10 प्रतिशत जारी करने का निर्देश दिया जाता है। 'पेंशन' में 'उपादान' शामिल है-इसलिए, पूरी उपादान राशि को भी रोका नहीं जा सकता था-राज्य को उपादान राशि का 90 प्रतिशत जारी करने का निर्देश दिया जाता है-बिहार पेंशन नियम, 1950 नियम 43 और 27।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित कियाः 1. बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43 (बी) को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए पेंशन की पूरी या आंशिक राशि को रोकने या वापस लेने का अधिकार था, यदि पेंशनभोगी को किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में "गंभीर कदाचार का दोषी पाया गया था", या अपनी सेवा के कार्यकाल के दौरान "कदाचार या लापरवाही से सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया था"। नियम 43 (बी) में ऐसी स्थिति शामिल नहीं थी जहां न्यायिक या विभागीय कार्यवाही लंबित थी। [पैरा 11.2 और 12.1] [913 जी-एच; 914-ए]

2. 22.08.1974 और 31.10.1974 दिनांकित परिपत्र, और सरकारी संकल्प संख्या 3104 दिनांकित 31.07.1980, केवल प्रशासनिक निर्देश/कार्यकारी आदेश थे।उन्हें संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी नहीं किया गया था और इसे विधि की शक्ति नहीं कहा जा सकता है। पेंशन या उपादान को रोकने की अनुमति देने वाले वैधानिक नियमों के अभाव में, राज्य कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकता था। [पारा 13.1] [917 ए-बी; 918-एच; 919-ए]

झारखंड राज्य और अन्य. v.जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य (2013) 12 एससीसी 210:[2013] 8 एससीआर 177-पर निर्भर किया गया।

3. हालाँकि बिहार के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार पेंशन नियमों में 19.07.2012 को संशोधन के साथ स्थिति बदल गई है जिसके द्वारा खंड (ग) को नियम 43 में जोड़ा गया है। नियम 43 (ग) में प्रावधान है कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि के दौरान विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही शुरू

की जाती है, और अभियोजन स्वीकृत किया गया था, लेकिन सेवानिवृत्ति तक समाप्त नहीं हुआ था, तो देय अस्थायी पेंशन अधिकतम स्वीकार्य राशि से कम होगी, लेकिन किसी भी मामले में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी। [पारा 13.2 और 13.3] [919-बी; 919 डी-ई]

4. यह अच्छी तरह से तय है कि पेंशन के अधिकार को केवल कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता है। पेंशन और उपादान केवल उपहार या नियोक्ता द्वारा उदारता से नहीं दी जाती है। एक कर्मचारी इन लाभों को अपने लंबे, निरंतर, वफादार और बेदाग सेवा से अर्जित करता है। लोक सेवक की पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के तहत "संपत्ति के अधिकार" के तहत शामिल किया गया है।संविधान के अनुच्छेद 31 (1) को निरस्त करने के बाद भी पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संरक्षित संपत्ति का अधिकार माना गया है। (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 20.06.1979 तिथि से [पारा 13.4 और 13.6] [919 ई-एफ; 923 सी-डी]

> देओकिनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1971) 2 एस. सी. सी. 330: [1971] 0 पूरक।एससीआर 634; डी. एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ (1983) 1 एससीसी 305:[1983] 2 एस. सी. आर. 165-अनुसरित किया गया
>
> पश्चिम बंगाल राज्य बनाम हरेश सी. बनर्जी और अन्य। (2006) 7 एससीसी 651:[2006] 5 पूरक एस. सी. आर. 620-पर निर्भरित किया गया।

5. अपीलार्थी के 31.03.2008 को सेवानिवृत होने के बाद दिनांक 22.08.1974 और 31.10.1974 के प्रशासनिक परिपत्रों और दिनांक 31.07.1980 के सरकारी संकल्प संख्या- 3104 के तहत अपीलार्थी की 10 प्रतिशत पेंशन रोकने में प्रतिवादी को अन्यायपूर्ण ठहराया गया। यह निर्देश दिया जाता है कि पेंशन राशि का 10 प्रतिशत जो सेवानिवृत्ति के बाद रोक दिया गया था, अपीलार्थी को भुगतान किया जाना है। [पारा 14] [923 ई-जी]

6. बिहार पेंशन नियमों में नियम 43 (सी) को शामिल किए जाने और 19.07.2012 को लागू किए जाने के बाद, राज्य को आर. सी. वाद 48ए/1996 में आपराधिक कार्यवाही समाप्त होने तक अपीलार्थी की पेंशन राशि का 10 प्रतिशत कानूनी रूप से रोकने का अधिकार

है। परिणामतः, राज्य आपराधिक कार्यवाही के परिणाम के अधीन 19.07.2012 तिथि से पेंशन की राधि में से 10 प्रतिशत कटौती करेगा। [पारा 14] [923 जी-एच]

7. बिहार पेंशन नियमों के नियम 27 के अनुसार, उपादान की पूरी राशि को रोकने के संबंध में, "उपादान" में शामिल हैं। वैधानिक पुस्तक में नियम 43 (ग) को शामिल करने के साथ (19.07.2012 से प्रभावी), यह स्पष्ट है कि उपादान को प्रशासनिक परिपत्रों दिनांकित 22.08.1974 और 31.10.1974 और सरकारी संकल्प संख्या 3104 के तहत भी नहीं रोका जा सकता था। राज्य को अपीलार्थी को देय उपदान का 90 प्रतिशत जारी करने का निर्देश दिया जाता है।शेष 10 प्रतिशत उसके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही के परिणाम के अधीन रिहा कर दिया जाएगा। [पैरा 15] [924 ए-सी]

विजय कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य 2017 (1) पीएलजेआर 575; अरविंद कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य आदि। (2018) 159 एफ. एल. आर. 143 से संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 8 एससीआर 177	को पारा 5	पर निर्भर किया गया
2017 (1) पीएलजेआर 575	को पारा 9	से संदर्भित किया गया
[1971] 0 पूरक एससीआर 634	ने पारा 13.4	का अनुसरण किया
[1983] 2 एससीआर 165	ने पारा 13.5	का अनुसरण किया
[2006] 5 पूरक एससीआर 620	को पारा 13.6	पर निर्भर किया गया
(2018) 159 एफएलआर 143	को पारा 13.7	से संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील संख्या 1677-1678/2020

एल. पी. ए. सं. 1529/2013 में पटना में उच्च क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांकित 21.03.2017 और सिविल समीक्षा संख्या 207/2017 में आदेश दिनांकित 23.08.2017 से।

सुनील के. आर., वरिष्ठ अधिवक्ता, हिमांशु शेखर अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता।

सुश्री प्रतिष्ठा विज, अभिनव मुखर्जी, पार्थिव के. गोस्वामी, सुश्री दीक्षा राय, सिबो शंकर मिश्रा, श्रीमती अनिल कटियार उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

इंदु मल्होत्रा, न्यायमूर्ति

विलंब को माफ किया गया। अनुमति दी गई।

1. विचारार्थ जो छोटा मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या बिहार राज्य द्वारा लंबित आपराधिक कार्यवाहियों के आधार पर 22.08.1974 और 31.10.194 के परिपत्रों और 31.10.194 के अंतर्गत अपीलकर्ता के 10% पेंशन और पूर्ण उपदान को रोकना न्यायोचित था?

2. अपीलकर्ता को प्रतिवादी-राज्य द्वारा पवना, बिहार में टूरिंग पशु चिकित्सा पदाधिकारी (टीवीओ) के पद पर नियुक्त किया गया था।जब अपीलकर्ता सक्रिय सेवा में था, तब वह सीबीआई द्वारा दाखिल आर. सी. मामला संख्या 48ए/1996 में चारा घोटाले में एक आरोपी बनाया गया था, जिसमें 21.11.2003 को उसके खिलाफ आरोप-पत्र मामला किया गया था। सीबीआई पशुपालन के विशेष न्यायाधीश, ने आपराधिक मामला का संज्ञान लिया। अपीलकर्ता को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930 के नियम 49 (ए) में अंतर्गत 31.05.2002 को निलंबित कर दिया गया था, जो बिहार सरकारी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 को लागू होने से पहले प्रचलन में था। अपीलकर्ता 31 मार्च, 2008 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक निलंबित रहा।

3. सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, राज्य सरकार ने दिनांक 17.09.2008 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता की अंतिम पेंशन के 90% के भुगतान को मंजूरी दी, और लंबित आपराधिक कार्यवाही के कारण पेंशन, पूरा उपादान, लीव इनकैशमेन्ट और सामान्य भविष्य निधि का 10% रोक दिया।

4. 10% पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने की कारवाई से पीड़ित, अपीलकर्ता ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट आवेदन दाखिल किया यह प्रार्थना करते हुए कि प्रतिवादी को ब्याज के साथ पूरी पेंशन, उपादान लीव इनकैशमेन्ट और सामान्य भविष्य निधि के भुगतान करने के लिए परमादेश का रिट जारी किया जाए ।

5. अपीलकर्ता ने अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ यह दलील दी कि बिहार पेंशन नियम, 1950 ऐसे सेवा सरकारी सेवक को पूर्ण पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान को प्रतिबंधित नहीं करता है जिसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही लंबित थी।बिहार पेंशन नियम का नियम 43 (बी) तब तक लागू नहीं होता है, जब तक कि अपचारी कर्मचारी को विभागीय या न्यायिक प्रक्रियाओं में गंभीर दुराचार का अपचारी नहीं पाया जाता है या दुराचार या लापरवाही के कारण सरकार को धन-संबंधी नुकसान होता है।नतीजतन, आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान नियम 43 (बी) लागू नहीं होगा। झारखंड राज्य और अन्य बनाम जितेंन्द्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भरोसा किया गया जिसमें नियम 43 (बी) पेंशन और उपादान को रोकने की अनुमति देना नहीं देता है जब विभागीय या न्यायिक कार्यवाही अभी भी लंबित है।यह आगे प्रतिवाद किया गया कि 31 जुलाई, 1980 के सरकारी संकल्प में, एक कार्यकारी अनुदेश होने के कारण, कानून की कोई शक्ति नहीं थी, और पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को नहीं छीन सकती थी, जिसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में माना जाता है।

6. बिहार राज्य ने अपना प्रतिशपथपत्र दाखिल किया जिसमें कहा गया है कि सामान्य भविष्यनिधि के लिए 12,78,711/- रुपये और लीव इनकैशमेन्ट के लिए 1,35,256/- रुपये की राशि अपीलकर्ता को क्रमश: 15.01.2009 और 03.02.2009 को भुगतान की गई थी। राज्य ने वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22.08.1974 और 31.10.1974 को जारी परिपत्रों

सहपठित 31.07.1980 के सरकारी संकल्प के आधार पर अपने रुख को न्याय हित ठहराया, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई सरकारी सेवक निलंबन के अंतर्गत सेवानिवृत्त होता है, तो वह पूरी पेंशन और उपादान का भुगतान का हकदार नहीं होगा, और अधिक से अधिक, विभागीय या न्यायिक कार्यवाही के निष्कर्ष तक अंतिम पेंशन का 90% भुगतान का अधिकारी होगा। आगे यह कहा गया कि कथित कार्यवाही के निष्कर्ष और उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक कोई उपदान या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान देय नहीं होगा।

7. विचारार्थ जो मुद्दा बचा था वह पेंशन के 10% का भुगतान और उपादान की पूरी राशि को रोकने के संबंध में था।

8. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 23.01.2013 के निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि आपराधिक कार्यवाही पूरी होने तक पूर्ण पेंशन और उपादान का पकड़े तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर टिकाऊ नहीं था। चूंकि 31 मई, 2002 को जारी निलंबन के आदेश को अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने तक किसी भी समय रद्द नहीं किया गया था, इसलिए बिहार पेंशन नियम के नियम 43 (बी) के अनुसार इस पूरी अवधि के दौरान आपराधिक कार्यवाही जारी मानी जाएगी।दिनांक 22.8.1974 और 31.10.1974 के सरकारी परिपत्रों और दिनांक 31.7.1980 के सरकारी संकल्प के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा विभागीय या न्यायिक कार्यवाही की समाप्ति तक पेंशन और उपादान की पूरी राशि के 10 प्रतिशत को अस्थायी रूप से रूप से प्रति रोकने का सूचेतपूर्ण निर्णय लिया गया ।

9. एकल न्यायधिश के आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने एक एलपीए दायर किया, जिसे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने 21 मार्च, 2017 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से दिनांक रद्द कर दिया।अपीलकर्ता विजय कुमार मिश्रा बनाम् बिहार राज्य 2 में बिहार पेंशन नियम के नियम 43 (बी) और (सी) के व्याख्या के आधार पर खण्डपीठ ने एलपीए ख़ारिज कर दिया। खण्डपीठ ने अभिधारित किया कि अपीलकर्ता को लंबित आपराधिक मामले के निष्कर्ष का इंतजार करनाा होगा जब तक वह पेंशन और उपादान की पुर्ण राशि के 10 प्रतिशत के भुगतान का अधिकारी हो जाए । अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका को

दिनांक 23.08.2017 के आदेश के अनुसार प्रचालित नहीं करने के कारण खारिज कर दिया गया।

10. उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित अपीलकर्ता ने इस अदालत के समक्ष वर्तमान एसएलपी दायर की है। हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तों को सुना है, और उनकी ओर से की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है.

11. उपयुक्त वैधानिक प्रावधान

11.1 बिहार पेंशन नियम, 1950 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 241 (2) (बी) के अंतर्गत बनाया गया था और 20 जनवरी, 1950 को लागू हआ था। नियम 27 और 43 (क) और (ख) निम्नलिखित रूप में वर्णित हैं:-

"27. पेंशन में उपादान शामिल है।"

"43 (क) भविष्य में अच्छा आचरण पेंशन के प्रत्येक अनुदान की एक गर्भित शर्त है।यदि पेंशनभोगी को गंभीर अपराध के लिए अपराधी ठहराया जाता है या गंभीर दुराचार का अपराधी पाया जाता है तो प्रांतीय सरकार पेंशन या उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।इस नियम के अंतर्गत पूरी पेंशन या उसके किसी हिस्से को रोकने या वापस लेने के किसी भी सवाल पर प्रांतीय सरकार का फ़ैसला अंतिम और निर्णायक होगा।

(ख) <u>राज्य सरकार आगे किसी पेंशन या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है यदि पेंशनभोगी को विभागीय</u> या अदालती कार्यवाही में गंभीर लापरवाही का अपराधी पाया जाता है या उसने रोज़गार के बाद या <u>अपनी सेवा के दौरान सरकार को दुराचार या लापरवाही द्वारा धन-संबंधी नुकसान पहुंचाया है, तो राज्य सरकार धन की हानि का पूरा या एक हिस्सा पेंशन से वसूल करने के आदेश के अधिकार को सुरक्षित रखती है ।</u>

[जोर दिया गया]

11.2 नियम 43 (बी) के पठन से यह संकेत मिलता है कि राज्य सरकार के पेंशन की पूरी राशि या उसके एक हिस्से को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, रोकने या निकालने के लिए अधिकार प्राप्त होगा, यदि पेंशनभोगी को किसी विभागीय या अदालती कार्यवाही में गंभीर दुराचार का अपराधी पाया गया या उसने दुराचार या लापरवाही के कारण अपनी सेवा के कार्यकाल के दौरान सरकार को धन-संबंधी नुकसान कारित किया।

12. परिपत्र और संकल्प

12.1 नियम 43 (ख) में ऐसी स्थिति शामिल नहीं थी जहां न्यायिक या विभागीय कार्यवाहियां लंबित थीं।

प्रतिवादी राज्य ने 22.08.1974 और 31.10.1974 को दो परिपत्र जारी किए थे, जिसके तहत किसी ऐसे कर्मचारी को 75 प्रतिशत पेंशन देने का प्रावधान किया गया था, जो सेवानिवृत्ति के समय विभागीय या अदालती कार्यवाही का सामना कर रहा था। परिपत्रों में प्रावधान था कि कार्यवाही विचाराधीनता रहने के दौरान कोई उपादान या मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान का भुगतान नहीं किया जाएगा।

12.2 बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22.08.1974 को जारी परिपत्र इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"विषय-सरकारी सेवकों को पेंशन का भुगतान जो निलंबन में हैं या जिनके खिलाफ विभागीय या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को विभागीय या न्यायिक कायर्वाही या पूछताछ पूरी नहीं हुई है।

सरकारी सेवक जो निलंबित हैं या जिनके खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख पर विभागीय या न्यायिक कायर्वाही या जांच पूरी नहीं हुई है, उनके पेंशन को मंजूर करने का सवाल सरकार के यहाँ सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

2. राज्य सरकार ने इच्छापूर्वक यह तय किया है कि (i) जहां कोई विभागीय या अदालती कार्यवाही बिहार पेंशन नियमों के नियम 43 (बी) के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ दर्ज किया जाता है या जहां सेवानिवृत्त हुए किसी पदाधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्यवाही अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा पदाधिकारी जारी रहती है, वहां उसे अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से लेकर उस तारीख तक की अवधि के दौरान पेंशन का 75 प्रतिशत औपबंधिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जिस तारीख को ऐसी कार्यवाहियों के समापन पर अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं, जो सेवानिवृत्ति की तारीख तक अपनी अर्हता सेवा के आधार पर स्वीकार्य होगी, या यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख पर निलंबित था, तो उस तारीख तक जिस तारीख को वह निलंबन के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन इस तरह की कार्यवाही और उस पर अंतिम आदेश जारी होने तक उसे कोई उपादान या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ii) उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत अनंतिम पेंशन के भुगतान को उपर्युक्त कार्यवाही के निष्कर्ष पर ऐसे पदाधिकारी को मंजूर अंतिम सेवानिवृत्ति लाभों के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, लेकिन कोई भी वसूली नहीं की जाएगी जहां अंतिम रूप से स्वीकृत पेंशन अनंतिम से कम है या पेंशन को स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए रोक दिया गया है।

3. उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत पेंशन का अनुदान बिहार पेंशन नियम के नियम 139 के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जहां अंतिम पेंशन कार्यवाही के निष्कर्ष पर मंजूर की जाती है।

4. ये आदेश 1 नवंबर, 1970 से प्रभावी होंगे ।सभी लंबित मामलों का निर्णय तदनुसार किया जाएगा।(देखें एफ. डी. मेमो सं. पीसी-11-40-28/74/9144 एफ, दिनांक 22.08.1974.) है।"

[जोर दिया गया]

12.3 बाद में 31.10.1974 को एक स्पष्ट परिपत्र जारी किया गया जिसमें दोहराया गया कि अदालती या विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष तक केवल 75 प्रतिशत तक की अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जाएगा।

दिनांक 31.10.1974 का परिपत्र इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"विषयः- सरकारी कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान जो निलंबित हैं या जिनके खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को विभागीय या न्यायिक कार्वाही या पूछताछ पूरी नहीं हुई है।

वित्त विभाग के पत्र संख्या पीसी-11-40.28/74/9144 एफ, दिनांक 22.8.1974 में यह प्रावधान है कि एक सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके खिलाफ कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही दर्ज की गई है या जारी है, को स्वीकार्य पेंशन में 75 प्रतिशत तक अनंतिम पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उपर्युक्त आदेशों के अंतर्गत अनंतिम पेंशन का भुगतान अनिवार्य है। लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का ऐसा लगता है कि जिन मामलों में किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ दर्ज की गयी विभागीय कार्रवाही बड़े दण्ड के लिए थी जैसा लगना और जिसमें बिहार पेंशन नियम के नियम 43 के अंतर्गत उसकी सेवानिवृत्ति के अंत में कोई पेंशन देय नहीं हो सकती की यहां तक कि प्रवधान को भी मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं है । यह विचार कथित नियमों की मूल भावना के खिलाफ है । इसलिए सभी विभागों के प्रमुखों से आग्रह किया जाता है कि वे नियमों की सही स्थिति और राज्य सरकार की मंशा में पेंशन मंजूर करने वाले अधिकारियों की नजर में लाएं ताकि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को 75 प्रतिशत अनंतिम पेंशन के भुगतान से वंचित न किया जा सके। (वीडियो एफ. डी. ज्ञापन संख्या पीसी-11-40-98/74-11260 एफ, दिनांक 31.10.1974) के द्वारा।"

[जोर दिया गया]

12.4 राज्य सरकार ने 31.07.1980 को सरकारी संकल्प संख्या 3014 जारी किया, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता हैः

"7. पेंशन को रोकना या निकालना -

(क) उप खंड-6 में निहित फ़ैसला बिहार पेंशन नियम के नियम-43 पर असर नहीं करेगा, जिसके अंतर्गत पेंशन को रोकने या निकालने की शक्ति निहित है।

(ख) यदि किसी भी सरकारी सेवक के खिलाफ उसके सेवानिवृत्ति की तारीख तक किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही, आपराधिक मामला, अदालती जांच आदि शुरू नहीं की गई है, तो उस स्थिति में पेंशन मंजूर करनेवाले अधिकारी को किसी भी परिस्थिति में पेंशन रोकने का अधिकार नहीं होगा । बिहार पेंशन नियम का नियम- 43 एक वैधानिक नियम है । अतः सतर्कता विभाग से भुगतान प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में विभिन्न विभागों और परिपत्रों द्वारा इसके विरूध्द किए गए प्रावधानों को स्वतः रद्द माना जाएगा।

(ग) जहां किसी सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान शुरू की गई विभागीय या अदालती कार्यवाही का अंतिम निपटान उसके/उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक संभव नहीं है, तो वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 9144/एफ, दिनांक 22-8-1974 और 11260 एफ, दिनांक 31-10-1974 के प्रावधानों के अंतर्गत अनंतिम पेंशन को मंजूरी देने की कार्य शुरू किया जाए ताकि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। खंड 8 (ग) में निहित प्रावधानों इस श्रेणी के मामलों में लागू नहीं होंगे। इस श्रेणी के मामलों में अनंतिम पेंशन की राशि, नियम के अनुसार, पेंशन में स्वीकार्य अधिकतम राशि से कम होगी, लेकिन यह किसी भी परिस्थिति में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी।"

[जोर दिया गया]

सरकारी प्रस्ताव संख्या 3104 दिनांक 31.07.1980 में प्रावधान है कि जहां किसी सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान विभागीय या न्यायिक कार्यवाही शुरू की गई और सेवानिवृत्ति की तिथि तक इनका समापन नहीं हआ या इनका निपटान नहीं हआ, तो 22.08.1974 और 31.10.1974 के परिपत्रों के अनुसार अनंतिम पेंशन का भुगतान दिनांक किया जाएगा। हालाँकि, स्वीकार्य पेंशन की राशि को पेंशन की अधिकतम राशि के 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया ।

13.1 हमारे सुविचारित विचार में परिपत्र दिनांक 22.08.1974 और 31.10.1974 और सरकारी संकल्प सं. 3104, दिनांक 31.07.1980, केवल प्रशासनिक अनुदेश/कार्यकारी आदेश थे।इन्हें संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जारी नहीं किया गया था और इन्हें कानून की शक्ति नहीं कहा जा सकता है। सरकारी संकल्प दिनांक 31.07.1980 इस अदालत में समक्ष झारखण्ड और अन्य बनाम् जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य के मामले विचारार्थ आया था ।

बिहार पेंशन नियम के नियम 43 (बी) और सरकारी प्रस्ताव संख्या 3104 दिनांक 31.07.1980 पर विचार करने के बाद, इस अदालत ने अभिधारित किया कि के पास लंबित न्यायिक या विभागिय कार्यवाहियों की अवधि के दौरान किसी सरकारी सेवक के पेंशन या उपादान की पूरी राशि को रोकने का कोई अधिकार या शक्ति नहीं है। इस अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया किः

"9. कानूनी स्थिति को समझाने के बाद, पहले पेंशन मुक्त करने से संबंधित नियमों पर चर्चा करें। <u>वर्तमान मामला स्वीकार्य रूप से बिहार पेंशन नियम द्वारा शासित है, जैसा कि झारखंड राज्य पर लागू है।</u> पेंशन नियम का नियम 43 (बी) राज्य सरकार को कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत पेंशन या उसके किसी हिस्से को रोकने या निकालने की शक्ति प्रदान करता है।यह नियम 43 (ख) को इस प्रकार पढ़ा जाता हैः-

.....

<u>उपर्युक्त नियम 43 (ख) के पठन से निम्नलिखित स्थिति सामने आती हैः</u>

(i) राज्य सरकार के पास पेंशन या इसके किसी भाग को रोकने या निकालने की शक्ति है जब पेंशनभोगी किसी विभागीय कार्यवाही या अदालती कार्यवाही में गंभीर दुराचार का अपराधी पाया जाता है।

(ii) यह उपबंध राज्य को उस समय कथित शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए सशक्त नहीं करता है जब विभाग की कार्यवाही या अदालती कार्यवाही लंबित है।

(iii) उपरोक्त कार्यवाहियों के परिणाम की परवाह किए बिना इस नियम के अंतर्गत लीव इनकैशमेंट को रोकने की शक्ति राज्य को बशर्ते नहीं दी गई है।

(iv) इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कार्यवाहियों का समापन दोषसिध्द घोषित करते हुए किया जाता है, न कि पहले।

.....

11. 43 (ख) को पढ़ने से यह पर्याप्त रूप से साफ़ हो जाता है कि न्यायिक जाँच के समापन के बाद भी सरकार को पेंशन आदि को रोकने अनुमति है, सिर्फ उस समय, जब विभागीय जाँच और न्यायिक कार्यवाही में यह निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता है कि कर्मचारी ने कार्यालय में अपने कार्य को संपादित करने के दौरान घोर दुराचार किया है । पेंशन/उपादान को रोकने के लिए, नियमों में कोई प्रावधान नहीं है जब ऐसी विभागीय कार्यवाहियाँ या न्यायिक कार्यवाहियाँ अभी भी लंबित है ।

14. .....कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 300 ए में निहित संवैधानिक शासनादेश है। इसमें कहा गया हे कि अपीलकर्ता द्वारा पेंशन या उपादान या लीव इनकैशमेंट का एक हिस्सा बिना किसी वैधानिक प्रावधान के और प्रशासनिक अनुदेश के अंतर्गत लिये जाने का समर्थन नहीं किया जा सकता है ।

15. इस पर जोर देने उतनी आवश्यकता नहीं है कि कार्यकारी निर्देशों का कोई वैधानिक स्वरूप नहीं है और इसलिए इसे उपरोक्त अनुच्छेद 300 ए के अर्थ में कानून नहीं कहा जा सकता । ऐसे परिपत्र के आधार पर जिसमें, कानून की शक्ति नहीं है, अपीलार्थी पेंशन या उपादान का एक हिस्सा भी नहीं रोक सकते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, जहाँ तक वैधानिक नियमों का संबंध है, इस कथित स्थिति में पेंशन या उपादान को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान होता तो स्थिति अलग होती।"

यह माना गया था कि संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अर्थ में पेंशन 'संपत्ति' है, और कार्यकारी निर्देश, जिनके पास कोई वैधानिक मंजूरी नहीं है, उन्हें अनुच्छेद 300 ए के अर्थ में कानून नहीं कहा जा सकता है। आगे यह अभिधारित किया गया कि पेंशन या उपादान रोकने की अनुमति के लिए वैधानिक नियमों की अनुपस्थिति में राज्य कार्यकारी अनुदेश के द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है । यह देखा गया कि जहाँ तक वैधानिक नियमों का संबंध है, इस स्थिति में पेंशन या उपादान को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान होता तो स्थिति अलग होती है ।

13.2 हालाँकि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में बिहार के राज्यपाल द्वारा 19.07.2012 को बिहार पेंशन नियमावली में संशोधन के साथ स्थिति बदल गई है, जिसके द्वारा नियम 43 में खण्ड-ग जोड़ा गया है, जो इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"(c) जहाँ ऐसे सेवक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही या अदालती कार्यवाही या अदालती कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के खिलाफ अभियोग पक्ष को मंजूरी दी गई है, और सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान शुरू कर दी गई है, सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति तक समाप्त नहीं होती हे, वहां अनंतिम पेंशन की राशि अधिकतम स्वीकार्य पेंशन राशि से कम होगी, लेकिन किसी भी मामले में यह 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।"

13.3 नियम 43 (ग) में प्रावधान है कि जहां किसी सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान विभागीय कार्यवाही या अदालती कार्यवाही आरंभ की जाती है और अभियोग पक्ष को मंजूरी दी जाती है, किंतु सेवानिवृत्ति तक समाप्त नहीं होती है, वहां देय अनंतिम पेंशन अधिकतम स्वीकार्य राशि से कम होगी किंतु किसी भी मामले में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

13. 4 यह अच्छी तरह से स्थापित है कि पेंशन का अधिकार केवल कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक अनुदेश द्वारा नहीं छीना जा सकता है।पेंशन और उपादान केवल उपहार या नियोक्ता द्वारा उदारता से नहीं दी जाती है।एक कर्मचारी अपनी लंबी, निरंतर, विश्वसनीय और बेदाग सेवा के कारण इन लाभों को अर्जित करता है।लोक सेवक की पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को इस न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा देवकीनन्दन प्रसाद बनाम् बिहार राज्य के मामले में संविधान के अनुच्छेद 31/1 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार से आच्छादित किया गया है, जिसने यह निर्णय दिया किः

> "30. यह सवाल कि क्या किसी लोक सेवक को दी गई पेंशन अनुच्छेद 31 (1) के तहत संपत्ति है, पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष भगवंत सिंह दखल अंदाजी भारत संघ [एआईआर 1962 पुंज 503] में आया था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह का अधिकार संपत्ति का निर्माण करता है और किसी तरह का हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 31/1 का उल्लंघन होगा। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि राज्य एक कार्यकारी आदेश द्वारा लोक सेवक के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को कम या पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता है । यह फैसला विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया था । यह फैसला भारत संघ द्वारा लेटर पेटेंट अपील में लिया गया था। लेटर पेटेंट पीठ ने भारत सरकार बनाम भगवंत सिंह [आईएलआर 1965 पुंज 1] में अपने फ़ैसले में विद्वत एकल न्यायाधीश के फ़ैसला को मंजूरी दी।लेटर पेटेंट पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि किसी लोक सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर दी जाने वाली पेंशन संविधान के लेख 31 (1) के अर्थ में 'संपत्ति' है और उसे केवल कानून के अधिकार द्वारा ही इससे वंचित किया जा सकता है और उस

पेंशन को केवल इनकार या रद्द करने पर संपत्ति के दायरे से नहीं हटाया जा सकता है। यह आगे अभिनिर्धारित किया गया कि संपत्ति के रूप में पेंशन के स्वरूप में संभवतः किसी विशिष्ट व्यक्ति या अधिकारी की इच्छा पर इस तरह का परिवर्नि नहीं किया जा सकता है ।

31. यह मामला पुनः के. आर. एरी सही पंजाब अफ़सर [आई. एल. आर. 1967 पेंशन एंड हर 278] में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष आया।उच्च न्यायालय को एक अधिकारी के पेंशन पाने के अधिकारी के तरीके को मानना पड़ा । बहुमत ने एक ही उच्च न्यायालय के पहले के दो निर्णयों में निर्धारित सिध्दांतों को अनुमोदन के साथ उध्दृत किया, जो ऊपर संदर्भित है, और अभिनिर्धारित किया कि पेंशन को सरकार की इच्छा और मन पर देय इनाम में नहीं माना जाना चाहिए और यह कि सेवानिवृत्ति पेंशन का अधिकार, इसकी राशि के साथ एक सरकारी सेवक को प्रदत्त एक बहुमूल्य अधिकार है । बहुमत द्वारा यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही पहले किसी अवसर पर अधिकारी को अपनी ओर ढिलाई या दुराचार के लिए दण्ड अधिरोपित करने के विरुध्द कारण बताने अवसर पहले ही दिया जा चुका था और वह अपराधी पाया गया है, फिर भी जब उसके विरुध्द पहले से साबित दुराचार के आधार पर किसी अधिकारी को संदेय दंड में राशि में कटौती करने में मांग में जाती है, तो इस संबंध में अधिकारी को कारण बताने का आगे एक और अवसर दिया जाना चाहिए । आगे एक और अवसर देने के बारे में इस दृष्टिटिकोण को उपयुक्त पंजाब नागरिक सेवा नियम के आधार पर विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किया गया था । लेकिन विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने निर्णय के अंतरगत बहुमत से सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसी परिस्थितियों में एक अधिकारी को आगे एक और अवसर दिया जाना चाहिए जब राज्य द्वारा देय पेंशन की राशि में कटौती की जाती है । हमारे लिए इस मामले में इस सवाल पर विचार करना जऊँरी नहीं है कि क्या पहले की गई अनुशासनिक कार्य के आधार पर पेंशन में कटौती करने या इसे इनकार करने

के रूप में कारवाई करने से पहले किसी अधिकारी को आगे कारण बतओ सूचना दिया जाना चाहिए । यह सवाल हमारे समक्ष विचारार्थ नहीं है । न ही हमें किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार पेंशन में कटौती करने या उसे रोकने से पहले अधिकारियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया, यदि कोई हो, के बारे में आगे के सवाल से संबंध हे । अतः हम उपर्युक्त पंजाब उच्च न्यायालय के फैसले में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक न्यायाधीशों द्वारा अभिव्यक्त विचारों के बारे में कोई राय अभिव्यक्त नहीं करते हैं । लेकिन हम बहुमत के विचारों से सहमत हैं जब ये अपने पहले के फैसले को स्वीकृत करते है कि पेंशन सरकारी की इच्छा और खुशी पर देय इनाम नहीं है और दूसरी ओर पेंशन का अधिकार एक सरकारी सेवक को मिला हआ एक कीमती अधिकारी है। इस अवसर को उपयुक्त पंजाब नागरिक सेवा नियमों के आधार पर विद्वान न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किया गया था।

33. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि अनुच्छेद 31 (1) के अंतर्गत याचिकाकर्त्ता को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति है और केवल एक कार्यकारी आदेश के द्वारा राज्य को इसे रोकने की कोई अधिकार नहीं था । इसी प्रकार कथित दावा भी अनुच्छेद 19(1) (एफ) के अंतर्गत संपत्ति है और इसे अनुच्छेद 19 के उप अनुच्छेद (5) द्वारा बचाया नहीं जा सकता है । इसलिए आदेश दिनांक 12 जून, 1968 द्वारा याचिकाकर्त्ता को पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 19(1) (एफ) और 31(1) के अंतर्गत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, और इस प्रकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका पोषणीय है।"

[जोर दिया गया]

13.5 पूर्वोक्त निर्णय का डी. एस. नाकारा और अन्य बनाम् भारत संघ और अन्य वाले मामले में अनुसरण किया गया। इस न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया किः

"20. पेंशन को एक उपहार होने की पुरानी धारणा, नियोक्ता में इच्छा या अनुग्रह के आधार पर एक ऐच्छिक भुगतान जो अधिकार के रूप में दावा करने योग्य नहीं है और इसलिए, देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य वाले मामले में संविधान पीठ के फ़ैसला द्वारा इस धारणा को खत्म कर दिया गया है कि पेंशन का कोई अधिकार के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है। जहां इस न्यायालय ने प्राधिकृत रूप से निर्णय दिया कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि नियमों द्वारा शासित होता है और उन नियमों के अंतर्गत आने वाला एक सरकारी सेक्क पेंशन का दावा करने हकदार हैयह आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि पेंशन का अनुदान किसी के विवेक पर निर्भर नहीं करता है।यह केवल सेवा और अन्य संबद्ध मामलों को ध्यान में रखते हुए राशि को निर्धारित करने के उद्देश्य से है कि अधिकारी के लिए इस आशय का आदेश पारित करना ज़रूरी हो सकता है, लेकिन ऐसे किसी आदेश के कारण नहीं, बल्कि नियमों के आधार पर अधिकारी को पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है।पंजाब राज्य और एक अन्य बनाम इकबाल सिंह वाले मामले में पुनः इस दृष्टिकोण की पुष्टि की गई।

29. सारांश में यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि पेंशन न केवल अतीत में में गई निष्ठावान सेवा के लिए क्षतिपूर्ति है, बल्कि पेंशन का एक व्यापक महत्व भी है, क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक न्याय का एक उपाय है जो जीवन के पतन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है जब भौतिक और मानसिक कौशल में उम्र बढ़ने के साथ गिरावट होता है और इसलिए किसी को भी बचत की ओर लौटने की आवश्यक होती है।इसी प्रकार की एक बचत तब होती है जब आप जीवन के अच्छे दिनों में अपने नियोक्ता को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, अस्थिरता के दिनों में, नियत कालीन भुगतान के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है।न्यायिक रूप से इस अवधि को पिछली सेवा के आधार पर दिए गए भत्ते या वजीफे या सेवा से सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति के

अधिकार या परिलब्धियों को त्याग देने के रूप में परिभाषित कहा गया है।अतः एक सरकारी कर्मचारी को देय पेंशन लंबी और कुशल सेवा प्रदान करके अर्जित की जाती है और इसलिए इसे क्षतिपूर्त्ति का आस्थगित हिस्सा या प्रदान की गई सेवा कहा जा सकता है ।एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि पेंशन का सबसे व्यावहारिक उध्देश्य पौढ अवस्था में देयरण स्वयं के लिए प्रदान करने में असमर्थता है।कोई भी व्यक्ति जीवित रह सकता है और बेरोजगारी से बच सकता है लेकिन बुढ़ापा और गरीबी से नहीं अगर कुछ भी वापस पाने के लिए नहीं है।

31. चर्चा से तीन बातें उभर कर सामने आती हैं: यह कि पेंशन न तो नियोक्ता की मधुर इच्छा के आधार पर न तो कोई इनाम है और न ही अनुग्रह का मामला है और यह 1972 के नियमों के अनुसार एक प्रदत्त शक्ति का सृजन करता है, जो वैधानिक हैं क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के प्रयोग में अधिनियमित किए गए हैं।(ii) पेंशन अनुग्रह राशि नहीं है, लेकिन यह अतीत में सेवा प्रदान करने के लिए भुगतान है। (ii) यह उनलोगों की सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए एक उपाय है, जिन्होंने अपने जीवन के अच्छे दिनों में अपने नियोक्ता के इस आश्वासन पर अथक परिश्रम किया कि उनको बुढ़ापे में कष्ट में नहीं छोड़ा जाएगा।"

[जोर दिया गया]

13.6 पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संविधान (44 वां संशोधन) अधिनियम, 1978 अनुच्छेद 31 (1) दिनांक 20.06.1979 से लागू को रद्द करने के बाद भी संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत संरक्षित संपत्ति का अधिकार माना गया है। जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य बनाम् हरेश सी. बनर्जी और अन्य वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया।

13.7 पटना उच्चन्यायालय की खण्ड पीठ ने आक्षेपित निर्णय में अपीलार्थी द्वारा माँगी गई राहत के खण्डन के लिए विजय कुमार मिश्रा बनाम् बिहार राज्य वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय के एक समन्वित न्यायपीठ के पूर्व विनिश्चय पर पूर्णयतया भरोसा किया है। उल्लेखनीय है कि विजय कुमार मिश्रा वाले मामले के आदेश को पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा अरविंद कुमार सिंह बनाम् भारत सरकार और अन्य आदि वाले मामले में उलट दिया गया था ।

14. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अभिनिर्धारित करते हैं कि अपीलकर्ता का 31.03.2008 को दिनांक सेवानिवृत्त होने के बाद 22.08.1974 और 31.10.1974 के प्रशासनिक परिपत्रों और 31.07.1980 के सरकारी संकल्प संख्या 3104 के अंतर्गत अपीलकर्ता का 10% पेंशन को रोकना अनुचित था।

हम निर्देश देते हैं कि पेंशन राशि का 10%, जिसे 31.03.2008 को सेवानिवृत्ति के बाद 19.07.2012 तक रोक लिया गया था, इस आदेश की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है.

बिहार पेंशन नियम में नियम 43 (सी) को शामिल करने और 19.07.2012 को लागू करने के बाद, राज्य को आर. सी. मामला संख्या 48ए/1996 में आपराधिक कार्यवाही पूरी होने तक अपीलकर्ता की पेंशन राशि का 10% कानूनी रूप से रोकने का अधिकार है।नतीजतन, राज्य आपराधिक कार्यवाही के परिणाम के आधार पर 19.07.2012 से पेंशन मात्रा में से 10 प्रतिशत कटौती करेगा।

15. उपादान की पूरी राशि को रोक रखने के संबंध में, हम पाते हैं कि बिहार पेंशन नियम के नियम 27 के अनुसार, पेंशन में उपादान शामिल है। अधिनियम पुस्तक में दिनांक 19 जुलाई, 2012 के प्रभाव से नियम 43 (सी) की प्रविष्टि की जाने से यह स्पष्ट है कि 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्टूबर, 1974 के प्रशासनिक संकल्प और 31 जुलाई, 1980 के सरकारी प्रस्ताव संख्या 3104 के अंतर्गत उपादान रोका नहीं जा सकता था ।

राज्य को इस निर्णय की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलकर्ता को देय उपदान का 90% मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। शेष 10 प्रतिशत राशि आर. सी. वाद

48ए/1996 में उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक कार्यवाही के परिणाम को आधार मुक्त की जाएगी।

उपर्युक्त शर्तों में दिवानी अपीलों को स्वीकृत किया जाता है ।

सभी लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, का निपटान तदनुसार किया जाता है।

तदनुसार आदेश दिया गया।

(उदय उमेश ललित), न्यायमूर्ति

(इंदु मल्होत्रा), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

18 फरवरी, 2020

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।